FAX

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–41 / छः–पु0–9–18–167जी / 2009–न्याय–2
लखनऊः दिनांकः 30 अगस्त,2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना के कम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अपर जिला न्यायधीशों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 3 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालयों में आरोप–पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिए स्तम्भ 4 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम सन् 1988 के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायधीश के समक्ष आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस, अधिष्ठान से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे विशेष न्यायधीश के समक्ष विचाराधीन हों, विचारण एवं निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनके न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किये जायेंगे, जिनका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

अनसूची

कम संख्या	विशेष न्यायाधीश के रूप में संस्तुत न्यायिक अधिकारियों के नाम	न्यायालय का पद नाम	अधिकारिता का क्षेत्र(जिला)
1	2	3	4
1.	श्री प्रदीप सिंह, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0 कोर्ट नं0–2, लखनऊ।	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, कोर्ट नं0–2, लखनऊ।	आजमगढ़, इटावा, बस्ती, मऊ, भदोही, बलरामपुर एवं बहराइच।
2.	श्रीमती नीतू पाठक, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0 कोर्ट नं0–1, लखनऊ।	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।	इलाहाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, चित्रकूट, हमीरपुर और छत्रपतिशाहूजी महराजनगर (अमेठी)।
3.	श्री गौरव कुमार, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0 कोर्ट नं0–6, लखनऊ।	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, कोर्ट नं0–6, लखनऊ।	जौनपुर, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, गोण्डा, ललितपुर, बलिया, सुल्तानपुर और बांदा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–यू0ओ0–41(1)/छः–पु0–9–18–167जी/2009–न्याय–2 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 30 अगस्त, 2018 की तिथि में प्रकाशित करने तथा मुद्रित अधिसूचना की 10 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–यू0ओ0–41(2)/छः–पु0–9–18–167जी/2009–न्याय–2 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–2) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3– संयुक्त निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्रांक–8999/मेन–बी/सी0बी0आई0 (एडमिन–ए–3), दिनांक 14.06.2018 के संदर्भ में।
4– सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7– प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
8– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9– प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
10– जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।
11– निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
12– वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
13– निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
14– सदस्य सचिव, उ0प्र0 कानूनी सहायता एवं परामर्शी बोर्ड, 510, जवाहर भवन, लखनऊ।
15– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0,लखनऊ।
16– विधायी अनुभाग–1
17– भाषा अनुभाग–5
18– **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
19– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।